

E-mail:

~~J.D.C.~~ ~~A.P.G.~~ issue direction
to all concern. Dr.
30/18/13



राजस्थान राज—पत्र विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

श्रावण 17, मंगलवार, शाके 1939— अगस्त 8, 2017
Sravana 17, Tuesday, Saka 1939—August 8, 2017

भाग १ (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-१)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 8, 2017

संख्या प.13(3)प्र.सु./सम./अनु.-1/2011 :—राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्याक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतदद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु.-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, समय—समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्यांक 19 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम संख्यांक 20 एवं उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जावेगी, अर्थात्:-

20.	पर्जीदन एवं मुद्राक विनाप, सम्प्रभू	127.	इतिहासिक पर्जीयन	24 घटे	उप संज्ञायक	सेवर	उप लडानिरेक्षक	लडानिरेक्षक	उपकोंको कारोबारो मध्य-वर्तर दाखन होने, विजयी आपूर्ति नहीं होने, कम्प्यूटर सिस्टम चाराब होने की स्थिति में विचारीय सेवा निर्धारित उत्पादविधि अं उत्पादव नहीं करानी जा सकती।
-----	---	------	------------------	--------	-------------	------	----------------	-------------	--

राज्यपाल के आदेश से,
पवन कुमार गोयल,
प्रमुख शासन सचिव।

189

राजस्थान—सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
“पंजीयन—भवन”, अजमेर

क्रमांक : एफ.7(42)जन/2017/ १२७० - ९४५० दिनांक : ४/९/१७

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक प.13(3)प्र.सु./सम./अनु.-1/2011 दिनांक 08.08.17 की प्रति सूचनार्थ, पालनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- 1 शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - 2 महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लॉक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
 - 3 समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
 - 4 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
 - 5 पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
 - 6 वित्तीय सलाहकार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग मुख्यालय अजमेर।
 - 7 अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जयपुर।
 - 8 समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
 - 9 संयुक्त निदेशक (कप्पूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचना को विभाग की वेबसाई igrs.rajasthan.gov.in पर तत्काल अपलोड करावें।
 - 10 समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
 - 11 निजी-सचिव, महानिरीक्षक / निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।

रिणू जयपाल